81.15

प्रेषक,

अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव,
प्रबन्ध मण्डल,
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर-2

सेवा में,

1- कुलपति, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-2 — अध्यक्ष
2- प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ । — सदस्य
3- सचिव (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ । — सदस्य
4- सचिव (कृषि), उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ । — सदस्य
5- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ । — सदस्य
6- निदेशक पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ । — सदस्य
7- डा0 ए0के0 रहेजा, अतिरिक्त महानिदेशक (ई0एण्ड बी0सी0), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली । — सदस्य
8- श्री कमलेश कुमार पाठक, एम0एल0सी0, भण्डारीपुरा, इटावा । — सदस्य
9- श्री हर गोविन्द कुशवाहा, ग्राम-बमनुआ, पोस्ट-टेहरौली, झांसी । — सदस्य
10- प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0, तृतीय तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ। — सदस्य
11- श्रीमती संतोष कश्यप, एच-3, शिव लोक कालोनी, हरिद्वार । — सदस्य

संख्याः सीएसयूपी/सी-440-50/बोर्ड-101 दिनांः अगस्त 1 ,1996

महोदय,

इस विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 26-7-1996 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की एक प्रति आपके सूचनार्थ प्रेषित है ।

भवदीय,

1/8/96

(सुन्दर लाल)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

1/8/96

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 101वीं बैठक की कार्यवाही ।

दिनांक: 26 जुलाई, 1996 — **समय: पूर्वान्ह 11.30 बजे**

स्थान : कृषि उत्पादन आयुक्त का समिति कक्ष, सचिवालय, लखनऊ ।

उपस्थिति :

1- श्री प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी, आई0ए0एस0, कुलपति	-	अध्यक्ष
2- श्री चन्द्र प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव कृषि, उ0प्र0 शासन ।	-	सदस्य (कृषि सचिव के प्रतिनिधि)
3- श्री जे0पी0 त्रिपाठी, संयुक्त सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन ।	-	सदस्य (प्रमुख सचिव वित्तके प्रतिनिधि)
4- श्री जी0एन0 खोलिया, संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन ।	-	सदस्य (सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)
5- डा0 आर0के0एस0 चौहान, निदेशक कृषि ।	-	सदस्य
6- डा0 ए0के0 सिंह, निदेशक पशुपालन	-	सदस्य
7- श्री सुन्दर लाल, अर्थ नियन्त्रक	-	सचिव

मद सं0-1: प्रबन्ध मण्डल की 5-2-1996 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने गत बैठक दिनांक 5-2-1996 की कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया

मद सं0-2: वर्ष 1996-97 के आय-व्ययक के परीक्षण हेतु समिति का गठन एवं वर्ष के प्रथम तीन महीने (अप्रैल, 96 से जून, 96) के लिये लेखानुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं0-3: वित्त उप समिति की दिनांक 17-7-96 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही पर विचार ।

1- वित्तीय वर्ष 1995-96 के पुनरीक्षित तथा वर्ष 1996-97 के आयोजनेत्तर, आयोजनागत तथा कृषि अभियन्त्रण महाविद्यालय, इटावा (आयोजनागत) के आय-व्ययक पर बजट जांच समिति की बैठक दिनांक 8-7-96 के कार्यवृत्त पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने बजट जांच समिति की कार्यवृत्ति एवं वित्त उप समिति की संस्तुति पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

2- प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित शुल्क, प्रश्न पत्र, अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पारिश्रमिक आदि, जो कि विद्वत परिषद के प्रस्ताव सं0-983 दिनांक 4-9-94 द्वारा अनुमोदित है, के सम्बन्ध में विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुति के अनुसार कुलपति एवं कुलसचिव को दिये जाने वाले मानदेय को अनौचित्यपूर्ण बताया तथा निर्देश दिये कि भविष्य में इन्हें मानदेय देय नहीं होगा ।अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये संशोधित पारिश्रमिक की दरों के लिये विद्वत परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।.

--2

3– **परीक्षाओं के सम्पादन में परीक्षकों/परीक्षाफल पूर्ण करने वाले सहायकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की दरों में संशोधन पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने परीक्षाओं के सम्पादन में परीक्षकों/परीक्षाफल पूर्ण करने वाले सहायकों को दी जाने वाली संशोधित पारिश्रमिक दरों पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

4– **चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग, कानपुर एवं जिला दुग्धशाला प्रदर्शन प्रक्षेत्र, मथुरा पर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की विक्रय की दरों के पुनरीक्षण पर प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने कानपुर एवं मथुरा प्रांगण पर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की विक्रय दरों के पुनरीक्षण पर अपना अनुमोदन प्रदान किया (संलग्नक–1) ।

5– **To accept the adhoc scheme entitled "Investigation on pathogenic variability in Xanthomones Compestris pv. campestriscausing black rot of rapeseed & mustard.**

प्रबन्ध मण्डल ने योजना चलाने हेतु अपनी स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की कि योजना में सृजित पदों पर नियुक्त अनुबन्ध (Contract) पर योजनावधि तक के लिये ही की जायेगी तथा योजना समाप्त होने पर पदधारकों का समायोजन किसी अन्य पद पर नहीं किया जायेगा । प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की योजनाओं के लिये यही नीति रखी जाय ।

6– **Agenda Note for accepting the grant offered by M/S Hoechst India Ltd. for conducting research work in the Deptt. of Entomology.**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

7– **Agenda Note for accepting the grant offered by ICAR for conducting research in deptt. of Entomology.**

प्रबन्ध मण्डल ने योजना चलाने हेतु अपनी स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की कि योजना में सृजित पदों पर नियुक्ति अनुबन्ध (Contract) पर योजनावधि तक के लिये ही की जायेगी तथा योजना समाप्त होने पर पदधारकों का समायोजन किसी अन्य पद पर नहीं किया जायेगा । प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की योजनाओं के लिये यही नीति रखी जाय ।

8– **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा डा0 जी0पी0 श्रीवास्तव, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, कृषि जीव रसायन विभाग के अधीन Technical Feasibility & Economic implications of farm based fractionation & utilization of Berseem नामक एडहाक शोध योजना का अनुमोदन ।**

प्रबन्ध मण्डल ने योजना चलाने हेतु अपनी स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की कि योजना में सृजित पदों पर नियुक्ति अनुबन्ध (Contract) पर योजनावधि तक के लिये ही की जायेगी तथा योजना समाप्त होने पर पदधारकों का समायोजन किसी अन्य पद पर नहीं किया जायेगा । प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की योजनाओं के लिये यही नीति रखी जाय ।

9– **विश्वविद्यालय में छात्रों से उपाधि शुल्क (डिग्री फी) रु0 20/– के स्थान पर रु0 50/– तथा दीक्षान्त समारोह के उपरान्त रु0 100/– जमा कराये जाने पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने डिग्री फी के रूप में रु0 50/– तथा दीक्षान्त समारोह के बाद रु0 100/– के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान के साथ–साथ निर्देश दिया कि उपाधि लेमिनेट करके बनायी जाय ।

10– **विश्वविद्यालय में टेलीफोन के पी0बी0एक्स0 20+100 के बोर्ड को सुचारु रुप से चलाने के लिये नियमित पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुति पर निर्देश दिया कि पी0बी0एक्स0 मैनुअल एक्सचेन्ज को इलेकट्रानिक एक्सचेन्ज में परिवर्तित करने की सर्वप्रथम कार्यवाही करायी जाय एवं तद्नुसार आवश्यक पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय ।

11– **श्री शंकर दत्त, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा द्वारा पत्नी की चिकित्सा पर वर्ष 1993–94 में किये गये व्यय रु0 6813.70 पैसे की प्रतिपूर्ति पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने श्री दत्त को रु0 6813.70 पैसे के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की ।

12– **श्री आर0एस0 गंगवार, प्रक्षेत्र अधीक्षक, सरायमीरा, फर्रुखाबाद, निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) विभाग के स्वयं की चिकित्सा पर हुये व्यय रु0 49,625.67 पैसे के भुगतान पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने श्री गंगवार को रु0 49,625.67 पैसे के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की ।

13– **श्री गनेश चन्द्र, लिपिक, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग के स्वयं की चिकित्सा पर हुये व्यय रु0 11,396.30 पैसे के भुगतान पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने श्री चन्द्र को रु0 11,396.30 पैसे के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की ।

14– **श्रीमती रेनुका भट्टाचार्य, कनिष्ठ लिपिक, पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा द्वारा स्वयं की चिकित्सा पर किये गये व्यय रु0 7512.80 पैसे की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने श्रीमती भट्टाचार्य को रु0 456/– के व्यय को छोड़कर रु0 7056.80 पैसे के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की ।

15– **श्री राकेश कुमार स्वर्णकार, शोध सहायक, पादप प्रजनन एवं अनुवंशकीय विभाग के पिता जी की चिकित्सा पर हुये व्यय रु0 5640.50 पैसे मात्र के भुगतान पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि श्री स्वर्णकार से पिता के इन पर आश्रित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय । यदि इनके पिता इन पर आश्रित हैं तो रु0 5640.50 पैसे का भुगतान किया जाय ।

16– **डा0 ए0एस0 वार्सी, निदेशक शोध की स्वयं की चिकित्सा पर हुये व्यय रु0 7406.35 पैसे मात्र के भुगतान पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने डा0वार्सी को रु0 7406.35 पैसे के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की ।

17– **श्री मिश्री लाल, चालक, परिवहन विभाग के स्वयं की चिकित्सा पर व्यय हुये रु0 9476/– मात्र के भुगतान पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने श्री लाल को रु0 9476/– के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत प्रदान की ।

18– **श्री रामेश्वर ठाकुर, मिस्त्री, आर0टी0टी0सी0 विभाग के स्वयं की चिकित्सा पर व्यय हुये रु0 5491.90 पैसे मात्र के भुगतान पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने श्री ठाकुर को रु0 5491.90 पैसे के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की ।

Prabhat

--4

प्रबन्ध मण्डल ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये कि अग्रिम दिये जाने के सम्बन्ध में शासन के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एक सुविचारित प्रस्ताव वित्त उप समिति के माध्यम से अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

19(पू–1) विश्वविद्यालय के अधिकारियों/विभागाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार दिये जाने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

19(पू–2) विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तरों पर विभागाध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों को आहरण एवं वितरण का अधिकार दिये जाने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

19(पू–3) विश्वविद्यालय में नियमित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की गोपनीयता निभाते हुये वांछित संख्या में उपलब्धता पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने लम्बित भुगतान प्रस्तावित दरों पर करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की कि भविष्य में प्रश्न पत्रों की छपाई का कार्य गोपनीयता निभाते हुये गोपनीय प्रेस से कराया जाय ।

19(पू–4) माधुरीकुण्ड प्रक्षेत्र, इटावा प्रक्षेत्र तथा प्रवेश परीक्षाओं के वित्तीय वर्ष 1995–96 के लेखा–जोखा के अवलोकन का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने लेखा–जोखा अवलोकित किया ।

मद सं0–4 : डा0 जे0पी0 लवानिया, प्रवक्ता सर्जरी विभाग, वेटेरीनरी कालेज, मथुरा की सेवायें समाप्त किये जाने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव में वर्णित परिस्थितियों में डा0 लवानिया की सेवायें 1–8–90 से समाप्त किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

मद सं0–5 : विश्वविद्यालय के कानपुर प्रांगण में एक महिला चिकित्सा अधिकारी के पद के सृजन पर विचार ।

बैठक में सचिव, प्रबन्ध मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि महिला चिकित्सक का पद प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 1980 की बैठक में सृजित है । अतः पद के सृजन की आवश्यकता नहीं है । विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि इस पद पर नियमित पूर्णकालिक नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है । एक अंशकालिक महिला चिकित्सक मानदेय/संहत वेतन पर नियुक्त कर ली जाय । मानदेय/संहत वेतन का निर्धारण करने हेतु कुलपति अधिकृत होंगे ।

मद सं0–6 : डा0 ए0बी0 एलगावन, सहायक आचार्य, एनीमल न्यूट्रीशन, वेटेरीनरी कालेज को उनके द्वारा धारित पद पर 2 वर्ष का धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 एलगावन को उनके द्वारा धारित पद पर 21–7–94 से 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद सं0–7 : **सहायक अभियन्ता (वर्कशाप तथा इक्सटेंशन) वेतनमान रु0 2200–4000 का पद सहायक अभियन्ता (विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स) वेतनमान रु0 2200–4000 में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया । यदि सहायक अभियन्ता (विद्युत) की आवश्यकता है तो पूर्ण औचित्य के साथ अलग से प्रस्ताव लाया जाय ।

मद सं0–8 : **विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त परिनियम के अध्याय–13 में संलग्नक–2 में उल्लिखित प्रस्तर जोड़ने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं0–9 : **विभिन्न संकायों के अधिष्ठाताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया तय किये जाने सम्बन्धी पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त परिनियम के अध्याय–13 में संलग्नक–3 में उल्लिखित प्रस्तर जोड़ने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं0–10: **विकास भवन, कानपुर नगर हेतु एक एकड़ भूमि हस्तान्तरण किये जाने का प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि कार्यवाही करने के पूर्व शासन से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

मद सं0–11: **शासनादेश संख्या–1099/12(1)–140/75 दिनांक 13–9–76 एवं सं0–12–ई–37–4(15)/72(1315)/75 दिनांक 6–3–76 को विश्वविद्यालय के परिनियम में समाविष्ट करने के विषय में ।**

प्रबन्ध मण्डल ने विचारोपरान्त कथित शासनादेशों को परिनियम के अध्याय–21 के अन्त में समाविष्ट करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं0–12: डा0 जे0एन0 द्विवेदी, अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के विरुध्द लगाये गये आरोपों की जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी के सेवा निवृत्ति के पश्चात दूसरा जांच अधिकारी नियुकत किये जाने का प्रस्ताव ।

डा0 जे0एन0 द्विवेदी पर लगाये गये आरोपों, इन आरोपों पर उनके द्वारा जांच अधिकारी को दिये गये उत्तरों एवं जांच अधिकारी की प्रारम्भिक जांच आख्या पर विस्तृत विचार विमर्श किया एवं निर्णय लिया कि डा0 द्विवेदी के विरुध्द चल रही जांच को समाप्त कर दिया जाय ।

मद सं0–13: **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव :**

पूरक–1 : डा0 वी0के0 चतुर्वेदी, सहायक आचार्य, जीवाणु विज्ञान विभाग, वेटेरीनरी कालेज, मथुरा को दिनांक 23–6–96 से 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने का प्रस्ताव

प्रबन्ध मण्डल ने डा0चतुर्वेदी को 23–6–96 से 2 वर्ष तक सहायक आचार्य के पद पर धारणाधिकार सुरक्षित रखने का प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

पूरक–2 : प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 30–10–95 पर हुये निर्णय "स्वतन्त्र अनुरक्षण इकाई" के अनुमोदन को निरस्त करने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने "स्वतन्त्र अनुरक्षण इकाई" के सृजन के पूर्व निर्णय दिनांक 30–10–95 को निरस्त करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया ।

Prabhat

पूरक–3 : डा0 एम0 शाबिर, आचार्य, फार्माकोलाजी, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा को दुबई मेडिकल कालेज, दुबई में छः मास हेतु अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 शाबिर को 6 माह हेतु अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

पूरक–4 : विश्वविद्यालय के अध्यापकों को "ड्यूटी लीव (Duty Leave)" स्वीकृत करने पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने विचारोपरान्त परिनियम के अध्याय–21 की धारा–28(आर) की उपधारा 5(ई) के अन्त में निम्न अंश जोड़ने हेतु अनुमोदन प्रदान किया ।

7-Duty Leave

Total of fifteen days leave within calender year will be admissible to the teachers of this University in connection with conducting examinations, interview & participation of meeting of Board of Studies in different Universities/Institutions/P.S.C.'s/Public Corporation/Radio & T.V.talks etc.

पूरक–5: Retention of the post of Professor(IFFCO chair) as existed in the deptt.of Soil Sci.&Agri.Chem.

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

पूरक–6 : कृषि अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, इटावा के विभिन्न पदों की शैक्षिक योग्यता के अनुमोदन का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव के साथ संलग्नक में वर्णित 29 पदों की शैक्षिक योग्यता अनुमोदित की ।

पूरक–7 : Conversion of existing Mannual Telephone Exchange into Electronic Exchange.

वित्त उप समिति द्वारा 17–7–96 की बैठक में प्रस्ताव सं0–10 के अन्तर्गत की गयी अनुसंशा के आधार पर प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन प्रदान करते हुये इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज स्थापित करने हेतु रु0 7.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की । यह व्यय 1996–97 के लिये उपलब्ध बजट से ही किया जायेगा तथा इस कार्य हेतु कोई नया पद सृजित नहीं किया जायेगा ।

पूरक–8 : कानपुर प्रांगण में चल रहे कैम्परू स्कूल को बन्द किये जाने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने फहीम हाऊस ट्रस्ट द्वारा चलाये जा रहे कैम्परू स्कूल को बन्द करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया ।

कुलपति एवं अध्यक्ष ने यह भी अवगत कराया कि कैम्परू में एक और स्कूल लार्ड कृष्णा कैम्पस स्कूल के नाम से विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों की देख–रेख में चलाया जा रहा था, जो विद्यार्थियों के हित में न होने के कारण बन्द करा दिया गया है क्योंकि सरकारी स्कूलों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है साथ ही दोपहर का भोजन भी

--7

स्कूलों में दिया जाता है । ये सुविधायें इस स्कूल में नहीं दी जा रही थी।

प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय पर अपना औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया ।

पूरक–9 : क्षेत्रीय प्रसार चावल केन्द्र (चावल मिल योजना) के समाप्त होने के प्रशासनिक आदेशों तथा योजना में कार्यरत स्टाफ के समायोजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने सम्यक विचारोपरान्त समायोजन के प्रस्ताव पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया –

क्र0सं0	पद का नाम एवं वेतनमान	चावल मिल योजना में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी	पद का नाम एवं वेतनमान जिसके विरुध्द समायोजित किया गया	विभाग का नाम
1–	संयुक्त निदेशक 1150–1700	श्री टी0सी0मिश्र	शोध अभियन्ता 3700–5700	कृषि अभियन्त्रण वि0
2–	सहायक निदेशक 2200–4000	" लालमणि वर्मा	सहायक प्राध्यापक 2200–4000	" "
3–	सहायक निदेशक 2200–4000	" बी0एल0 त्रिपाठी	सहायक प्राध्यापक 2200–4000	पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग
4–	प्राविधिक अधिकारी 2200–4000	" पी0के0 बिसारिया	सहायक प्राध्यापक 2200–4000	कृषि अभियन्त्रण वि0
5–	चपरासी 750–940	" रणवीर सिंह	चपरासी 750–940	शाक–भाजी अनुभाग

प्रबन्ध मण्डल ने अपनी 100वीं बैठक दिनांक 5 फरवरी, 1996 को मद संख्या–4 के पूरक–2 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर लखनऊ में विश्वविद्यालय का कैम्प कार्यालय विश्वविद्यालय की प्राप्तियों से ही स्थापित करने का निर्णय लिया था । कुलपति एवं अध्यक्ष ने सदस्यों को अवगत कराया कि कैम्प कार्यालय की स्थापना में कर्मचारियों को पदास्थित करने के साथ–साथ भवन किराया, फर्नीचर, साज–सज्जा एंव दिन प्रतिदिन के कार्यों में अत्याधिक व्यय निहित होने तथा विश्वविद्यालय में प्राप्तियों के ऐसे कोई श्रोत, जिनसे इन व्ययों को किया जा सके, न होने के कारण कैम्प कार्यालय को बन्द करा दिया गया है । कानपुर से लखनऊ मात्र 2 घंटे का रास्ता है, इस कारण भी कैम्प कार्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर विचार विमर्श के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति द्वारा लिये गये निर्णय पर अपना औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया ।

बैठक के अन्त में कुलपति एवं अध्यक्ष ने सदस्यों को अवगत कराया कि कृषि अभियन्त्रण महाविद्यालय, इटावा के कतिपय पदों को भरने के लिये दिनांक 27, 28 फरवरी, 1996 तथा दिनांक 9, 10 मई, 1996 को साक्षत्कार सम्पन्न हुये थे । इन साक्षत्कारों के फलस्वरुप चयन समिति के संस्तुतियों के लिफाफे निलम्बित कुलपति डा0 इन्द्र पाल सिंह यादव से पत्रांक–वीसी–3131/सी–39/96 दिनाक 19 जुलाई, 1996 द्वारा तकनीकी सचिव को हस्तगत कराने के लिये लिखा गया । तकनीकी सचिव ने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20-7-96 को डा0 सिंह को हस्तगत करा दिया तथा गोपनीय लिफाफों को प्राप्त करने हेतु लगातार प्रयास किया गया । दिनांक 21-7-96 को बमुश्किल तकनीकी सचिव का सम्पर्क डा0 सिंह से हुआ तो उन्होंने बताया कि

--8

उनके पास कोई लिफाफे नहीं है और यह लिफाफे प्रस्थापना विभाग में होंगे । इन गोपनीय लिफाफों के बारे में मौखिक रूप से मुख्य कार्मिक अधिकारी ने भी निलम्बित कुलपति से कई बार अनुरोध किया कि ये लिफाफे तुरन्त उन्हें या तकनीकी सचिव को हस्तगत करा दिये जायं जिस पर निलम्बित कुलपति ने कोई उत्तर नही दिया । डा० राम कृष्ण, मुख्य कार्मिक अधिकारी, डा० आर०पी० कटियार, सम्पत्ति एवं प्रशासन अधिकारी एवं श्री एस०एस० यादव, तकनीकी सचिव ने लिखित रूप से सूचित किया है कि ये लिफाफे उनके पास नहीं हैं । वर्णित परिस्थितियों में चयन समिति की संस्तुतियों के इन गोपनीय लिफाफों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गयी है । अतः चयन समिति की इन संस्तुतियों को निरस्त कर दिया जाय ।

प्रबन्ध मण्डल ने सम्यक विचारोपरान्त चयन समिति की संस्तुतियों को निरस्त कर दिया तथा निर्देश दिये कि इन पदों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनः चयन की कार्यवाही की जाय ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हो गयी ।

(सुन्दर लाल)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

<u>अनुमोदित</u>

Prabhat

कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल